



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1514/2005

याचीकाकर्ता

-

के.पी. पटेल, उम्र 59 वर्ष,

पुत्र स्वर्गीय श्री रामशंकर पटेल,

कार्यपालक अभियंता (सिविल)

जल संसाधन प्रभाग, जशपुर नगर,

छत्तीसगढ़।

बनाम

उत्तरवादीगण -

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा

प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग,

डी.के.एस. भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़

2. मुख्य इंजीनियर, हसदेव कछार

जल संसाधन विभाग, बिलासपुर,



छत्तीसगढ़।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत मामले की परिस्थितियों में परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार-पृच्छा, प्रतिषेध और/या उसी प्रकृति का कोई अन्य रिट/आदेश/निर्देश जारी करने हेतु रिट याचिका।



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1514/2005

के. पी. पटेल

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य

7 सितम्बर, 2014 को आदेश हेतु

हस्ताक्षर
सतीश कु. अग्रिहोत्री
न्यायाधीश



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुररिट याचिका क्रमांक 1514/2005

के. पी. पटेल

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य

याची वास्ते श्री संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण वास्ते श्री वी.वी.एस.मूर्ति, उप महाधिवक्ता।

आदेश

(7.9.2005)

सतीश कु. अग्रिहोत्री. न्यायाधीश, द्वारा

- वर्तमान याचिका में जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.4.2005 को चुनौती दी गई है, जिसके तहत याची, जो सहायक अभियंता (सिविल) के रूप में कार्यरत था, को दिनांक 9.9.2003 के आदेश द्वारा तदर्थ आधार पर कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया गया था, उसे नियमित आधार पर स्थायी नहीं किया गया है और याची को उसके मूल पद यानी सहायक अभियंता पर वापस कर दिया गया है।
- याचिका में संशोधन करके याची ने उत्तरवादीगण के विरुद्ध यह निर्देश मांगा है कि याची को दिनांक 1.4.2005 से कार्यकारी अभियंता के पद पर सभी परिणामी लाभों के साथ नियमित पदोन्नति देने पर विचार किया जाए। प्रार्थना में संशोधन को दिनांक 27.6.2005 को स्वीकार किया गया।
- संक्षेप में निर्विवाद तथ्य यह है कि याची जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत था, जब दिनांक 9.9.2003 के आदेश द्वारा उसे तदर्थ आधार पर अन्य लोगों के साथ कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 1.4.2005 के आदेश द्वारा याची को नियमित आधार पर कार्यपालक अभियंता के पद पर स्थायी नहीं किया गया। इस प्रकार, याची को सहायक अभियंता के मूल पद पर वापस कर दिया गया। याची ने दिनांक 1.4.2005 के आदेश अनुलग्नक पी/1 को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की। याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याची को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 (इसके पश्चात नियम, 2003) के नियम



6(5) और 7 का उल्लंघन करते हुए कार्यपालन अभियंता के पद पर नियमित पदोन्नति से वंचित किया गया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि याची पदोन्नति के लिए उपयुक्त है क्योंकि उसके खिलाफ कोई विभागीय जांच और/या आपराधिक मामला लंबित नहीं है। तदर्थ पदोन्नति की तिथि से लेकर कार्यपालक अभियंता के पद पर नियमित पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (इसके बाद डी.पी.सी.) द्वारा विचार किए जाने तक याची की गोपनीय चरित्रावली में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि/टिप्पणी नहीं थी क्योंकि याची को किसी भी प्रतिकूल प्रविष्टि की सूचना नहीं दी गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि याची ने यह निर्धारित करने के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता का तुलनात्मक मूल्यांकन तैयार किया है कि कौन 'बहुत अच्छा', 'अच्छा' है या 'आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता है', जैसा कि उत्तरवादी ने अपने उत्तर की कंडिका 2 में कहा है कि "सविनय निवेदन है कि 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावली पर विचार किया गया है और चूंकि याची की गोपनीय चरित्रावली मानदंडों को पूरा नहीं कर रही थी, इसलिए याची को नियमित पदोन्नति के लिए अयोग्य पाया गया", और उत्तर की कंडिका 5 में कहा गया है कि "यहां यह उल्लेख करना उचित है कि गोपनीय चरित्रावली के आधार पर, प्रत्येक कर्मचारी को अंक मिलते हैं और चूंकि याची से कथित कनिष्ठों के पास याची की तुलना में बेहतर गोपनीय चरित्रावली थी, इसलिए, उन्होंने अधिक अंक अर्जित किए हैं और उसी के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति ने पाया कि वे कार्यपालक अभियंता के नियमित पद पर नियमित पदोन्नति के लिए योग्य हैं और आगे यह भी पाया कि याची कार्यपालक अभियंता के पद पर नियमित पदोन्नति के लिए बिलकुल भी योग्य नहीं है।" नियम, 2003 के नियम 4 के अनुसार सहायक अभियंता के पद से कार्यपालक अभियंता के पद पर पदोन्नति का मानदंड 'उपयुक्तता के अधीन वरिष्ठता' है। आगे यह तर्क दिया गया कि नियम 2003 के नियम 6(7) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि विभागीय पदोन्नति समिति प्रत्येक लोक सेवक के मामले पर उनकी उपयुक्तता के आधार पर अलग से विचार करेगी और लोक सेवक की उपयुक्तता का अलग से तुलनात्मक आकलन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें 'योग्य' या 'अयोग्य' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि चूंकि विभागीय पदोन्नति समिति ने तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर याची के मामले के साथ-साथ अन्य अभ्यर्थियों के



मामले पर भी विचार किया है, इसलिए उक्त कार्यवाही को रद्द किया जाए और उत्तरवादीगण को नियम, 2003 के नियम 6 के अनुसार नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया जाए।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने धर्मवीर सिंह तोमर बनाम दिल्ली प्रशासन एवं अन्य, (1991) सप. 2 एससीसी 635 और भारत संघ एवं अन्य बनाम लेफ्टीनेन्ट जनरल राजेंद्र सिंह खादयान एवं अन्य, (2000) 6 एससीसी 698 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का अवलम्ब लिया है लिया है। विद्वान अधिवक्ता ने इसके अतिरिक्त गुरदयाल सिंह फिज्जी बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (1979) 2 एससीसी 368 और भारत संघ एवं अन्य बनाम ई.जी. नंबूदरी, (1991) 3 एससीसी 38, और करनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (1994) सप. 3 एससीसी 724 के मामले में दिए गए निर्णय का अवलम्ब लिया है लेते हुए तर्क का समर्थन किया कि अगर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि/ टिप्पणी है जो शासकीय कर्मचारी के स्थायीकरण, दक्षता अवरोध पार करने, पदोन्नति और सेवा में बने रहने से संबंधित अधिकारों को प्रभावित करता है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार रिपोर्टिंग प्राधिकारी को शासकीय कर्मचारी को इसकी सूचना देनी चाहिए। चूंकि किसी भी प्रतिकूल प्रविष्टि/टिप्पणी को सूचित नहीं किया गया था, जिसने नियम 2003 के नियम 6(7) के तहत उसे योग्य घोषित करने के उद्देश्य से याची के मामले को प्रभावित किया हो, इसलिए याची को 'योग्य नहीं' के रूप में वर्गीकृत करना गलत था और नियम 2003 के नियम 6(5) और (7) का उल्लंघन था। याची को व्यक्तिगत उपयुक्तता के आधार पर 'योग्य' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था और वरिष्ठता सूची के आधार पर उसका चयन किया जाना चाहिए था।

7. श्री वी.वी.एस. मूर्ति, विद्वान उप महाधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि विभागीय पदोन्नति समिति ने सभी उम्मीदवारों के अभिलेखों पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया है, तथा अंक प्रदान करना उन्हें 'योग्य' या 'अयोग्य' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए मूल्यांकन करने के लिए था। चूंकि याची को उसकी गोपनीय चरित्रावली के आधार पर 'अयोग्य पाया गया था क्योंकि उसके पास "आवश्यक मानदंड नहीं थे", इसलिए वह नियमित आधार पर कार्यपालक अभियंता के पद पर पदोन्नति का हकदार नहीं है। तदनुसार, याची को कार्यपालक अभियंता के पद से सहायक अभियंता के पद पर वापस कर दिया गया क्योंकि उसे तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि कार्यपालक अभियंता के पद पर पदोन्नति के मानदंड 'तदर्थ' के साथ-साथ 'नियमित' पदोन्नति के लिए भी एक ही हैं। विभागीय पदोन्नति समिति ने 'तदर्थ आधार' पर कार्यपालक अभियंता के पद



पर पदोन्नति के लिए विचार करते समय याची को 'योग्य' पाया तथा लगभग दो वर्षों के बाद 'नियमित आधार' पर पदोन्नति के लिए विचार करते समय याची को 'अयोग्य नहीं' पाया क्योंकि वह आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता था।

8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालयों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किये गये मूल्यांकन पर विचार करते समय अत्यंत सावधान रहना चाहिए। उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल अपवादस्वरूप मामलों में करना चाहिए, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति ने गंभीर अनियमितताएं की हों या मूल्यांकन अस्वीकार्य या असंगत या महत्वहीन सामग्री पर आधारित हो। विद्वान अधिवक्ता ने बट्टीनाथ बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, एआईआर 2000 एससी 3243 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अवलम्ब लिया है।
9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के अवलोकन हेतु प्रस्तुत कार्यवाही के अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, यह पाया गया कि याची को पिछले पांच वर्षों की गोपनीय रिपोर्टों पर विचार करने के बाद कार्यपालक अभियंता के पद पर 'तदर्थ पदोन्नति' के लिए 'योग्य' माना गया था, जिसमें याची वर्ष 2001-2002 तक ए, ए, बी, सी, सी के रूप में ग्रेड दिया गया था और उसे 'योग्य' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके बाद, 'नियमित आधार' पर पदोन्नति के लिए विचार करते समय, विभागीय पदोन्नति समिति ने यह विचार अभिलिखित किया कि याची आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता है और अन्य उम्मीदवारों को 'बहुत अच्छा' या 'अच्छा' अभिलिखित किया गया था। इस मूल्यांकन के आधार पर याची को 'आयोग्य' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि, चयन सूची वरिष्ठता के अनुसार सख्ती से तैयार की गई थी। याची तथा अन्य अभ्यर्थियों पर विचारार्थ करते समय विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही के अभिलेख में गोपनीय चरित्रावली की ग्रेडिंग को इंगित नहीं किया गया था, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याची के पास अपेक्षित मानदंड नहीं थे।
10. नियम 2003 के नियम 4 में पदोन्नति के लिए आधार निर्धारण का प्रावधान है। वर्तमान मामले में पदोन्नति का आधार 'उपयुक्तता के अधीन वरिष्ठता' है।
11. नियम, 2003 के नियम 6 में उपयुक्तता के अधीन वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान है, जो इस प्रकार है :-

"6. उपयुक्तता के अधीन वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति.-



(1) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति उपयुक्तता के अधीन वरिष्ठता के आधार पर की जानी है, वहां सभी श्रेणियों की पात्रता का _____ पर विचार नहीं होगा।

(2) पदोन्नति के लिए केवल ऐसे लोक सेवकों के नामों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने भर्ती नियमों के अनुसार अपने फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में निर्धारित अर्हक सेवा पूरी कर ली हो। तथापि, उन सभी लोक सेवकों के नामों पर विचार करना आवश्यक नहीं है, जिन्होंने निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि पूरी कर ली हो, बल्कि वरिष्ठता के अनुसार केवल उतने ही लोक सेवकों के मामलों पर विचार किया जाएगा, जो प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत वर्ष के दौरान विद्यमान और सेवानिवृत्ति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, चयन सूची में सम्मिलित करने की दृष्टि से, दो लोक सेवकों के नाम या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए प्रत्येक श्रेणी के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नामों पर विचार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: पदोन्नति के लिए पात्रता की गणना का तरीका: उस सुसंगत वर्ष की 1 जनवरी को अर्हक सेवा की अवधि, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति बुलाई जाती है, की गणना उस कैलेंडर वर्ष से की जाएगी जिसमें लोक सेवक ने फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में कार्यभार ग्रहण किया है, न कि संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से।

(3) वर्ष के दौरान यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पदोन्नति के लिए रिक्तियों की संख्या सेवानिवृत्ति, उच्च संवर्गों/सेवा के भाग/पदों के उच्च वेतनमान में पदोन्नति के कारण मौजूदा और प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए निकाली जाएगी। एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति से उत्पन्न रिक्तियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोक सेवकों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या रोस्टर के आधार पर निकाली जाएगी, जिसे इन नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार बनाए रखा जाना अपेक्षित है।

(4) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाएगी। यह प्रत्येक वर्ष की रिक्तियों के संदर्भ में पदोन्नति के लिए लोक सेवकों की उपयुक्तता पर अलग से विचार करेगी, जो कि सबसे पहले वाले वर्ष से शुरू होगी। विभागीय पदोन्नति समिति पिछले वर्ष या



वर्षों की रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नति के लिए लोक सेवकों की उपयुक्तता पर अलग से विचार करेगी और तदनुसार संबंधित वर्ष के लिए चयन सूची तैयार करेगी। इसके बाद, विभागीय पदोन्नति समिति वर्तमान वर्ष की मौजूदा और प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नति के लिए लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार करेगी।

(5) विभागीय पदोन्नति समिति लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन उनके सेवा अभिलेखों के आधार पर तथा पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (ए.सी.आर.) के विशेष संदर्भ में करेगी। तथापि, ऐसे मामलों में जहां अपेक्षित अर्हक सेवा 5 वर्ष से अधिक है, विभागीय पदोन्नति समिति अपेक्षित अर्हक सेवा के बराबर वर्षों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के विशेष संदर्भ में अभिलेख देखेगी।

(6) जब किसी कारणवश सुसंगत अवधि के लिए एक या अधिक वार्षिक गोपनीय चरित्रावली उपलब्ध न हों, तो विभागीय पदोन्नति समिति प्रश्नगत अवधि से पूर्व के वर्षों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली पर विचार करेगी।

(7) इस पद्धति से पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति प्रत्येक लोक सेवक के मामले पर उसकी अपनी उपयुक्तता के आधार पर अलग से विचार करेगी, अर्थात् लोक सेवक की उपयुक्तता का तुलनात्मक मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं होगी। विभागीय पदोन्नति समिति प्रत्येक लोक सेवक के अभिलेखों पर अलग से विचार करेगी तथा उन्हें 'उपयुक्त' या 'अनुपयुक्त' के रूप में वर्गीकृत करेगी।

(8) अनारक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लोक सेवकों के लिए पृथक चयन सूचियां तैयार की जाएंगी, जिसमें अनारक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के ऐसी संख्या में लोक सेवकों के नाम सम्मिलित किए जाएंगे, जो

इनमें से प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षित पदों की संख्या के बराबर होगी। इसके अतिरिक्त, दो लोक सेवकों के नाम या चयन सूची में शामिल लोक सेवकों की संख्या का पच्चीस प्रतिशत जो भी अधिक हो, उप-नियम (2) में निर्धारित अनुसार प्रत्येक श्रेणी की चयन सूची में शामिल किए जाएंगे।

(9) प्रत्येक सूची में सम्मिलित लोक सेवकों के नाम उनकी वरिष्ठता के उसी क्रम में व्यवस्थित किए जाएंगे, जिसमें वे उस संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में विद्यमान थे, जिससे पदोन्नति की जानी है।



(10) लोक सेवकों की पदोन्नति इन पृथक चयन सूचियों से फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में उनकी वरिष्ठता के अनुसार तथा रोस्टर में दर्शाए गए निर्धारित क्रम के अनुसार की जाएगी।

(11) जिस संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में पदोन्नति की जानी है, उसमें तीनों श्रेणियों के लोक सेवकों की परस्पर वरिष्ठता अवधारित करने के लिए, लोक सेवकों की उपरोक्त तीनों श्रेणियों की एक संयुक्त चयन सूची उसी क्रम में तैयार की जाएगी, जिसमें उनके नाम उस संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान की वरिष्ठता सूची में आते हैं, जिसमें से पदोन्नति की जा रही है।

(12) उपरोक्त संयुक्त चयन सूची के आधार पर पदोन्नत लोक सेवकों के नाम, ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की संयुक्त चयन सूची के आधार पर पदोन्नत अंतिम लोक सेवक के नाम के नीचे अंकित किए जाएंगे।

(13) भर्ती नियमों के अनुसार विचार के लिए पात्र सभी लोक सेवकों के नामों पर विचार करने के बावजूद, जिस श्रेणी के लिए पद आरक्षित है, उसके उपयुक्त लोक सेवकों की अनुपलब्धता के कारण जो आरक्षित पद रिक्त रह जाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, अर्थात् तब तक रिक्त रखा जाएगा जब तक कि उस आरक्षित श्रेणी से संबंधित उपयुक्त लोक सेवक उपलब्ध न हो जाए। किसी भी परिस्थिति में आरक्षित श्रेणी की कोई रिक्ति किसी अन्य श्रेणी के लोक सेवक से पदोन्नति द्वारा नहीं भरी जाएगी।

(14) जहां कहीं भी पदोन्नति के सभी मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों में भरी नहीं गई हों, वहां बैकलॉग और/या अग्रेषित रिक्तियों को पृथक और विशिष्ट समूह माना जाएगा और उन्हें उस वर्ष की आरक्षित रिक्तियों के साथ नहीं माना जाएगा जिसमें उन्हें उस वर्ष की कुल रिक्तियों पर पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए भरा जा रहा है। दूसरे शब्दों में, आरक्षित रिक्तियों को भरने पर पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा केवल चालू वर्ष में उत्पन्न होने वाली आरक्षित रिक्तियों पर लागू होगी और पिछले वर्ष या वर्षों की अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए बैकलॉग/आगे बढ़ाई गई आरक्षित रिक्तियों को एक अलग और विशिष्ट समूह के रूप में माना जाएगा और वे पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन नहीं होंगी:



परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए छह माह के भीतर विभागीय प्रोन्नति समिति की विशेष बैठक बुलाएगा और यदि ऐसी रिक्तियां अभी भी नहीं भरी जाती हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार से उन लोक सेवकों द्वारा भरे जाने के लिए अनारक्षित नहीं किया जाएगा जो उस श्रेणी के नहीं हैं जिनके लिए पद या पद आरक्षित हैं।

(15) जब कोई लोक सेवक, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, पदोन्नति से इंकार करना चाहता है, तो वह लिखित अनुरोध कर सकता है कि उसे पदोन्नत न किया जाए। नियुक्ति प्राधिकारी सुसंगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे अनुरोध पर विचार करेगा। यदि पदोन्नति से इंकार करने के लिए दिए गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य हैं, तो चयन सूची में अगले लोक सेवक को पदोन्नत किया जा सकता है। तथापि, चूंकि प्रारंभ में पदोन्नति से इंकार करने वाले लोक सेवकों को नियुक्ति की पेशकश करना प्रशासनिक रूप से संभव या वांछनीय नहीं हो सकता है, इसलिए पैनल की वैधता अवधि के दौरान प्रत्येक अवसर पर जब कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो ऐसे मामलों में प्रथम पदोन्नति से इंकार करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक या अगली रिक्ति उत्पन्न होने तक, जो भी बाद में हो, पदोन्नति पर नियुक्ति का कोई नया प्रस्ताव नहीं किया जाएगा। उच्चतर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में अंतिम पदोन्नति पर, ऐसा लोक सेवक पिछले वर्ष उच्चतर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में पदोन्नत अपने कनिष्ठों की तुलना में वरिष्ठता खो देगा।

ऐसे मामलों में जहां लोक सेवक द्वारा पदोन्नति से इंकार करने के लिए दिए गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं हैं, तो वह लोक सेवक पर पदोन्नति लागू करेगा और यदि लोक सेवक फिर भी पदोन्नति से इंकार करता है, तो यहां तक कि आदेश का पालन करने से इनकार करने पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।"

12. नियम 2003 के नियम 6 के उपनियम (5) के तहत विभागीय पदोन्नति समिति को लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए उनकी सेवा अभिलेखों के आधार पर और पांच साल के वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के विशेष संदर्भ में उपयुक्तता का आकलन करने का अधिकार है। नियम 2003 के नियम 6 के उपनियम (7) के तहत विभागीय पदोन्नति समिति को प्रत्येक लोक सेवक के मामले पर उनकी अपनी उपयुक्तता के आधार पर अलग से विचार करने का अधिकार है और लोक सेवक की उपयुक्तता का तुलनात्मक मूल्यांकन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विभागीय पदोन्नति समिति को प्रत्येक लोक सेवक के अभिलेखों पर



अलग से विचार करने और उन्हें "उपयुक्त या अनुपयुक्त" के रूप में वर्गीकृत करने की भी आवश्यकता है।

13. अभिलेखों का गहन अवलोकन करने पर मैंने पाया कि विभागीय पदोन्नति समिति ने इसे "उपयुक्त या अनुपयुक्त" वर्गीकृत करने से पहले 'बहुत अच्छा', 'अच्छा' और 'आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता दर्ज करके तुलनात्मक मूल्यांकन पर विचार किया है।
14. बेशक, याची के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला या विभागीय जांच लंबित नहीं है। याची को कोई प्रतिकूल प्रविष्टि या टिप्पणी भी नहीं दी गई है जो उसके पदोन्नति के अधिकार को प्रभावित करती है, अगर ऐसा है, तो याची को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए विचार करने से पहले "उपयुक्त" के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।
15. याची द्वारा उद्धृत धर्मवीर सिंह तोमर (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्तता के अधीन वरिष्ठता के मानदंड पर विचार किया है, जो इस प्रकार है: कंडिका - 2.

"2. अपीलार्थी, उत्तरवादीगण क्रमांक 5 और दिल्ली प्रशासन के अधिवक्ता को सुना गया। अपीलकर्ता की शिकायत यह है कि यद्यपि वह उत्तरवादीगण 5 वासु चिमनानी से वरिष्ठ था, फिर भी उसे चयन श्रेणी में नहीं रखा गया, जबकि उसके कनिष्ठ को वह वेतनमान दिया गया। वरिष्ठता के अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, हमारा ध्यान 4 जनवरी, 1982 (पृष्ठ 21) के शपथपत्र में संलग्न प्रपत्र 'ए' की ओर आकर्षित किया। उस दस्तावेज से पता चलता है कि अपीलार्थी 1 नवंबर, 1972 को नियुक्त किया गया था, जबकि उत्तरवादीगण क्रमांक 5 को 1 मई, 1973 को नियुक्त किया गया था। इससे पता चलता है कि वह उत्तरवादीगण 5 से वरिष्ठ था। शिक्षा निदेशक द्वारा 4 अप्रैल, 1973 को जारी किए गए स्पष्टीकरण, अनुलग्नक "ए" (पृष्ठ 22) से यह स्पष्ट है कि शिक्षकों को चयन श्रेणी वरिष्ठता के आधार पर दिया जाना था, जो कि उपयुक्तता के अधीन था। "उपयुक्तता" शब्द का अर्थ है कि संबंधित व्यक्ति के चरित्र में कम से कम पिछले तीन वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं होनी चाहिए और उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए। जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, निर्विवाद रूप से उसके गोपनीय चरित्रावली में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है और न ही सुसंगत समय पर उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित थी। इसलिए, वह चयन श्रेणी में रखे जाने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है और चूंकि वह उत्तरवादीगण 5 से वरिष्ठ है, इसलिए यह समझना मुश्किल है कि उसके दावे को कैसे दरकिनार कर दिया गया।"



16. भारत संघ बनाम लाफ. जनरल राजेंद्र सिंह कादयान (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका-12 में उपयुक्तता के अधीन वरिष्ठता के मानदंडों को और स्पष्ट करते हुए निश्चित किया है जो इस प्रकार है -

"12 जहां भी चयन के आधार के रूप में उपयुक्तता निर्धारित की गई है, उसे वरिष्ठता के आधार पर भरा जाने वाला एक अचयनित पद माना जाता है, बशर्ते कि अनुपयुक्त को अस्वीकार कर दिया जाए। उपयुक्तता का अर्थ है सभी तरह से उपयुक्तता। "वरिष्ठता - सह - उपयुक्तता" में पहले से तय किए गए निर्देश चिन्ह को पूरा करने के लिए कुछ न्यूनतम उपयुक्तता की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के अधीन पदोन्नति वरिष्ठता पर आधारित होती है। वरिष्ठता - सह - उपयुक्तता और वरिष्ठता - सह - उपयुक्तता दोनों में तुलनात्मक उपयुक्तता के आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति के मामले में निर्धारित ज्येष्ठता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्तता - सह - उपयुक्तता सभी पात्र उम्मीदवारों की तुलनात्मक उपयुक्तता का आकलन करने और उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन करने के लिए आवश्यक है।"

17. इसलिए यह स्पष्ट है कि उपयुक्तता के अधीन वरिष्ठता उम्मीदवारों की तुलनात्मक उपयुक्तता के आकलन पर विचार नहीं करती है क्योंकि उपयुक्तता व्यक्तिगत उपयुक्तता के आधार पर 'उपयुक्त' को वर्गीकृत करने के लिए चयन का आधार है, जिस पर पृथक से विचार किया गया। इसके बाद कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता के आधार पर चयन सूची तैयार की जाती है। वर्तमान मामले में उत्तरवादीगण ने अपने प्रदर्शन को 'बहुत अच्छा', 'अच्छा' और 'मानदंडों को पूरा नहीं करता' के रूप में दर्ज करके तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर स्पष्ट रूप से मानदंडों का आकलन किया है, न कि उनकी उपयुक्तता के आधार पर।

18. याची द्वारा उद्धृत गुरदयाल सिंह फिज़ी (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 17 में यह अभिनिर्धारित किया है जो निम्नानुसार है -

"17. यह सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है कि प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार, गोपनीय सूची में एक प्रतिकूल चरित्रावली पर पदोन्नति के अवसरों से इनकार करने के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती है जब तक कि इसे संबंधित व्यक्ति को सूचित नहीं किया जाता है ताकि उसे अपने काम और आचरण को सुधारने या चरित्रावली से सम्बंधित परिस्थितियों को समझाने का अवसर मिले। ऐसा अवसर एक खाली औपचारिकता नहीं है, इसका उद्देश्य, आंशिक रूप से, उच्च अधिकारियों को संबंधित व्यक्ति द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर



विचार करने के लिए सक्षम करना है, कि क्या प्रतिकूल रिपोर्ट उचित है। दुर्भाग्य से, एक या दूसरे कारण से, अपीलार्थी की ओर से किसी भी गलती से उत्पन्न नहीं होने के बावजूद, हालांकि प्रतिकूल रिपोर्ट उसे बताई गई थी, शासन उसके स्पष्टीकरण पर विचार करने और यह तय करने में सक्षम नहीं है कि रिपोर्ट न्यायोचित थी या नहीं।"

19. उत्तरवादीगण द्वारा उद्धृत भारत संघ बनाम ई.जी.नम्बूदिरि (सुप्रा) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुरदयाल सिंह फिज़्ज़ी (सुप्रा) मामले में अभिनिर्धारित विधिक सिद्धांत को अनुमोदित किया है।
20. उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यू.पी.एस.सी. बनाम के. राजैया एवं अन्य, 2005 एआईआर एससीडब्लू 3275 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर इस उद्देश्य के लिए अवलम्ब लिया है कि विभागीय पदोन्नति समिति उम्मीदवारों को उनके समग्र प्रदर्शन के आधार पर श्रेणी देने में सक्षम है। यू.पी.एस.सी. (सुप्रा) का मामला ऐसा मामला नहीं था, जिसमें 'वरिष्ठता के अधीन उपयुक्तता' के आधार पर उच्च पद यानी कार्यपालक अभियंता पर पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों के चयन के संबंध में नियम विशिष्ट हैं और इस तरह यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।
21. उत्तरवादीगण द्वारा उद्धृत बद्दीनाथ (सुप्रा) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिए उपयुक्तता या उपयुक्तता के संबंध में किए गए मूल्यांकन पर विचार किया है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं था। वर्तमान मामले में, नियम 6(7) के अनुसार उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए एक वैधानिक प्रावधान है। विभागीय पदोन्नति समिति ने तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करके, किसी विशेष उम्मीदवार को 'उपयुक्त' या 'अनुपयुक्त' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उसकी अपनी उपयुक्तता के आधार पर अलग से मूल्यांकन न करके, नियम 6(7) के नियम 2003 में निहित वैधानिक प्रावधानों की पूरी तरह से अनदेखी की है।
22. इसमें कोई विवाद नहीं है कि तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करने के पश्चात नियम 6(9) एवं (10) नियम, 2003 के अनुसार ज्येष्ठता के आधार पर चयन सूची तैयार की गई थी। वर्तमान मामला एक अपवादात्मक मामला है, जहां विभागीय पदोन्नति समिति ने नियम 6(5) एवं 6(7) नियम, 2003 के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। तदनुसार, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किए



गए मूल्यांकन में हस्तक्षेप करने की शक्ति रखता है, जहां प्राधिकारियों ने वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

23. वर्तमान मामले में याची को कोई प्रविष्टि/टिप्पणी नहीं दी गई जो पदोन्नति के अधिकार को प्रभावित करती हो, क्योंकि उसे विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नियमित आधार पर कार्यपालक अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए 'आयोग्य' घोषित किया गया था। यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टि/टिप्पणी पाई जाती है, तो उसे गोपनीय चरित्रावली में की गई प्रतिकूल प्रविष्टि/टिप्पणी पर उचित उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए याची को अवसर दिए बिना विचार में नहीं लिया जा सकता था। इस प्रकार, विभागीय पदोन्नति समिति का यह आकलन कि याची ने अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं किया है, बिना किसी आधार के है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा विभागीय पदोन्नति समिति ने सभी उम्मीदवारों का तुलनात्मक मूल्यांकन किया है, जो नियम, 2003 के नियम 6 के उप-नियम (7) का उल्लंघन है, इस प्रकार, पूरी कार्यवाही को अपास्त किया जाना चाहिए।

24. ऊपर बताए गए कारणों से, याचिका स्वीकार की जाती है और उत्तरवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे पदोन्नति देने के लिए नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार याची के मामले पर अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ सख्ती से विचार करें। परिणामस्वरूप, दिनांक 1.4.2005 का आक्षेपित आदेश अभिखंडित होने से अपास्त किया जाता है। याची को तदर्थ पदोन्नति के आधार पर कार्यपालक अभियंता के रूप में तब तक बने रहने का अधिकार है जब तक कि विभागीय पदोन्नति समिति नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार याची के मामले पर विचार नहीं कर लेता।

तदनुसार याचिका स्वीकार की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

हस्ताक्षर
सतीश कु. अग्रिहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।